न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 36/2018

जीतसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 42जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. नरेन्द्रपालसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. मलकीतसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
3. सुमनदेवी उर्फ शीलादेवी पत्नी विष्णु भगवान जाति बिश्नोई निवासी 12 के वाई डी तहसील पूगल जिला बीकानेर ।
4. सरस्वतीदेवी पत्नी श्रवण कुमार जाति बिश्नोई निवासी 21 एमजीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
5. अशोकसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति कम्बोजसिख वासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
6. गुरमजीतसिंह पुत्र चरनसिंह जाति कम्बोजसिख वासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
7. गुरजीतसिंह पुत्र चरनसिंह जाति कम्बोजसिख वासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
8. देवेन्द्रसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति कम्बोजसिख वासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
9. सलविन्द्रसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति कम्बोजसिख वासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
10. जीतसिंह पुत्र वीरासिंह जाति कम्बोजसिख वासी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

11. सतविन्दरकौर पत्नी संतोखसिंह जाति कम्बोजसिख बिसी 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसील श्रीविजयनगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर 23.02.2018

उपस्थिति:–

श्री सतीश कुमार गौसाई, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.09.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो. सं0 1 व ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत पेश कर चक 42 जीबी के मु.न. 63 के कि.न. 25, 16, 15, 6,5 में से होकर मु.न. 54 के कि.न. 25 से 5, मु.न. 47 के कि.न. 25 से 5, मु.न. 31 के कि.न. 25 से 5 में होते हुए मु.न. 23 के कि.न. 21 से 1 में ले जाकर मु.ल. 23 के कि.न. 1 से मु.ल. 11 के कि.न. 22 में प्रवेश करवाकर मु.ल. 11 के कि.ल. 18 तक पाईप लाईन को स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थी संख्या 1, 2, 8 से 10 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया । अप्रार्थी संख्या 4 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी संख्या 4 ने दिनांक 8.02.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर मौका की जांच करवा कर प्रकरण का निर्णय करने का निवेदन किया ।

अपी. न्यायालय ने दिनांक 23.02.2018 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा चाही गई पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रेस्पो.संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने बिना मौका निरीक्षण किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने अधी.न्यायालय में दिनांक 08.02.2018 को मौका निरीक्षण करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधी.न्यायालय ने कोई कार्यवाही नहीं की । इसके अलावा अपीलांट को किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिलाया गया है। अधी.न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी.न्यायालय में जबाव प्रार्थना पेश किया एवं मौका निरीक्षण करवाने बाबत भी प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधी.न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया एवं न ही किसी प्रकार का मौका निरीक्षण किसी सक्षम अधिकारी से करवाया गया। इसके अतिरिक्त पाईप जाने वाली भूमि के बदले में मुआवजा दिलाये जाने का प्रावधान है जो भी नहीं दिलाया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, मुआवजा के बिन्दु का ध्यान में रखते हुए रा.का.अ. की धारा 251 ए एवं इसके तहत बने नियमों की पालना करते हुए पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर